फार्म - बयालीस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-57(2) देखें]

आयात हेतु घोषणा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र--पंजीकृत व्यापारियों से भिन्न व्यक्तियों हेतु

सेवा में,

----------(करनिर्धारण अधिकारी)

महोदय,

व्यक्तिगत उपयोग हेतु मुझे निम्न विवरणानुसार मूल्य के माल को प्रान्त बाहर से प्राप्त व आयात करना है :-

1.	माल का विवरण	
2.	वजन / परिमाप	
3.	मात्रा	
4.	माल का मूल्य अंकों में	
5.	माल का मूल्य शब्दों में	
6.	बिल / कैश मेमो / चालान / टैक्स इनवाइस नं0 व तिथि*	
7.	विक्रेता / पारेषक * का नाम व पता	
8.	टिन	

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर अंकित सूचना मेरे सर्वोच्च ज्ञान के अनुसार सही व पूर्ण है। मैं यह भी निवेदन करता हूँ कि ऊपर अंकित माल के आयात की अनुमति देते हुए मुझे फार्म - उन्तालीस जारी किया जाए।

<u>संलग्नक:</u>

1. व्यक्तिगत पहचान व पते का प्रमाण
2. विक्रेता का बिल / कैश मेमो / चालान / टैक्स इनवाइस*
3. करनिर्धारण अधिकारी की संतुष्टि हेतु अन्य कोई अभिलेख

क्रेता / परेषिती के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम व पूर्ण पता	
फोन नंबर, यदि कोई हो	

*जहां लागू न हों, काट दें।